आर. रामचंद्रन नायर

बनाम

उप अधीक्षक सतर्कता पुलिस एवं अन्य

(2011 की आपराधिक अपील संख्या 792)

28 मार्च 2011

(पी. सथाशिवम और डॉ. बी.एस.चौहान, जे.जे.)

श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994; धारा 50 (2) -के तहत संरक्षण - अपीलकर्ता- विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही- विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता- अभिनिर्धारित: विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा सद्भावना से किया गया कोई भी कार्य धारा 50 (2) के तहत संरक्षित है।- विश्वविद्यालय का कुलपति, अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से एक है। इसलिए धारा 50(2) अपीलकर्ता पर लागू होता है और अधिनियम या कानून या अध्यादेश या विनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य के संबंध में, सिंडिकेट की पूर्व मंजूरी के बिना उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अभियोजन या अन्य कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1) (डी) - दंड संहिता, 1860 -धारा 120-बी और 463।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 239- मुक्ति आवेदन- आरोप है कि विश्वविद्यालय के अपीलकर्ता कुलपति ने आर्थिक लाभ प्राप्त किया और विश्वविद्यालय को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया - एफआईआर - आरोप पत्र - 8-1/2 वर्षों के बाद भरा गया - मुक्ति के लिए आवेदन - अभिनिर्धारित : विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की पिछली मंजूरी के अभाव में जो अनिवार्य प्रकृति का है, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन शुरू नहीं किया जा सका - आरोप पत्र भरने में 8-1/2 साल की देरी को भी स्पष्ट नहीं किया गया - अन्यथा भी, एफआईआर या आरोप पत्र में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि अपीलकर्ता ने लेनदेन में कोई व्यक्तिगत लाभ कमाया था - एफआईआर में कहा गया था कि अपीलकर्ता ने लगभग रुपये 59,51,543/- का आर्थिक लाभ प्राप्त किया था। जबकि आरोप पत्र में यह मूल अनुमान के 5 प्रतिशत से भी कम, लगभग, 2,68,358/- रुपये पर आ गया। एफआईआर और आरोप पत्र के बीच नुकसान की गणना में भारी अंतर का आरोप पत्र में कोई जिक्र नहीं किया गया - इसके अलावा कुलपति के रूप में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए ईमानदार और त्वरित कार्यों को देखते हुए, सरकार ने पहले अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही वापस लेने का निर्णय लिया था- साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के संदर्भ में, यह उपधारित की जा सकता है कि सरकार ने अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने का सचेत निर्णय लिया था और अपीलकर्ता की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था-गुण-दोष के आधार पर भी, रिकॉर्ड

दर्शाते हैं कि अपीलकर्ता ने अपने कार्यों से सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया-इस कारण अपीलकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति का मामला बनाया - श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 - साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114।

अपीलकर्ता को केरल राज्य में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उक्त उद्देश्य के लिए 42.5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस प्रकार अधिग्रहित भूमि में निचली भूमि और जल भराव वाले खेत शामिल थे और कोई भी विकास कार्य भूमि को मिट्टी से भरने के बाद ही शुरू किया जा सकता था। अपीलार्थी ने भूमि को मिट्टी से भरवा दिया। रुपये की राशि, जल जमाव वाली भूमि के प्रत्येक एक प्रतिशत को भरने के लिए 5925 रुपये खर्च किये गये। 01.01.1994 से 30.06.1996 तक, अपीलकर्ता को विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। 18.12.1996 को अपीलकर्ता और चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 13(2) आर.डब्ल्यू. तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(डी) और आईपीसी की धारा 120-बी और 463 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप था कि विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि में मिट्टी भरने का कार्य अनियमित तरीके से किया गया तथा अपीलार्थी को ठेकेदारों से 59,51,543/- रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त किया, जिससे विश्वविद्यालय को गलत नुकसान हुआ। एफआईआर के साढ़े आठ साल बाद और श्री

शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 50 (2) के तहत विश्वविद्यालय के सिंडीकेट की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना, जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। एफ.आई.आर में विश्वविद्यालय को हुई आर्थिक क्षति 59,51,543/- रुपये बताई गई थी। जबकि आरोप-पत्र में यह मूल अनुमानित राशि के 5 प्रतिशत से भी कम यानी 2.68.358/- रुपये पर आ गई। अपीलकर्ता ने आरोप मुक्त करने के लिए सी.आर.पी.सी की धारा 239 के तहत एक आवेदन दायर किया। विशेष न्यायाधीश ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता कुलपति होने के नाते 1994 अधिनियम की धारा 50 के तहत सुरक्षा पाने का हकदार नहीं है, वह एक लोक सेवक था। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल अपील दायर की गई थी।

अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :-

1. श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 50 के शीर्षक से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छे विश्वास से किया गया कोई भी कार्य सुरक्षित है। अपीलकर्ता, विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से एक था। इस स्थिति में, धारा 50 (2) अपीलकर्ता पर लागू थी और मूर्तियों या अध्यादेशों या विनियमों के अधिनियम के तहत किए गए किसी भी

कार्य के संबंध में, सिंडिकेट की पूर्व मंजूरी के बिना उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अभियोजन या अन्य कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती थी। एफआईआर के अवलोकन से यह स्पष्ट हो गया कि किसी आरोप या आरोप-पत्र में इसकी भनक तक नहीं थी कि अपीलकर्ता ने लेनदेन में कोई व्यक्तिगत लाभ कमाया था। आरोप सिर्फ इतना था कि मिट्टी भराई करने वाले ठेकेदार ने 2,68,358/- रुपये अधिक लिये। यह स्पष्ट नहीं है कि अभियोजन प़क्ष ने आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8-1/2 साल तक इंतजार क्यों किया या ठेकेदार की मृत्यु तक और सहायक कार्यकारी अभियंता, जिन्होंने काम के लिए कोटेशन तैयार किया था, सेवानिवृत्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त होने और कोर्ट में चार्जशीट भरने से पहले देश से चले जाने तक इंतजार क्यों किया। उप-धारा 2 में प्रयुक्त भाषा के आलोक में, जो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की पूर्व मंजूरी के अभाव में अनिवार्य है, अभियोजन शुरू में या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। अन्यथा भी, अपीलकर्ता ने कुलपति होने के नाते प्रक्रिया का पालन करके परिश्रमपूर्वक कार्य किया, इसलिए, शिकायत शुरू होने से 8 साल की अवधि के बाद कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी। [पैरा 9,10,] [1064-बी-एचः1065-ए-सी]

2. केरल सरकार, सतर्कता (बी) विभाग की कार्यवाही की एक रिपोर्ट, जो सरकार के प्रधान सचिव द्वारा निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भेजी गई, ने यह स्पष्ट कर दिया कि विशेष न्यायालयों के समक्ष लंबित 3 मामलों में संपूर्ण तथ्यों की जांच करने पर और विश्वविद्यालय के

कुलपति के रूप में अपीलकर्ता द्वारा की गई ईमानदार और त्वरित कार्यवाही और अधिनियम के तहत उस पर लगाए गए कार्य के निर्वहन में अपीलकर्ता द्वारा सद्भावना से की गई कार्यवाही के बारे में सरकार ने निदेशक सतर्कता, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अनुरोध किया कि संबंधित अदालतों में लंबित सभी 3 मामलों को वापस लेने की कार्यवाही करेगा। उच्चतम स्तर, अर्थात् सरकार के मुख्य सचिव, पर ऐसे निर्णयों के बावजूद, अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को वापस लेने की अनुमति मांगने वाली संबंधित अदालतों के समक्ष कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के संदर्भ में, यह न्यायालय वैध रूप से यह धारणा बना सकता है कि सरकार ने 2006 में भी अपीलकर्ता को बरी करने का एक सचेत निर्णय लिया था और अपीलकर्ता की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। [पैरा 12] [1067-सी-एफ]

3. उन कानूनी मुद्दों के अलावा, जो अपीलकर्ता के पक्ष में थे, सम या गुण-दोष के बावजूद, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। जब अपीलकर्ता को अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया, तो सरकार ने 42.5 एकड़ भूमि आवंटित की, जिसमें पानी भरा हुआ था और कोई भी विकास कार्य मिट्टी से भरने के बाद ही शुरू किया जा सकता था। अभिलेखों से पता चला कि अनुमान सहायक कार्यकारी

अभियंता द्वारा तैयार किया गया था और जिसके आधार पर निविदाएं मांगी गईं और अपीलकर्ता ने सबसे कम निविदा स्वीकार कर ली, जो अभियंता द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि की थी। काम शुरू होने से पहले, अपीलकर्ता ने राज्य के उच्च अधिकारियों सहित क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से परामर्श किया था और वास्तव में उन्हें जमीन पर भरने के संबंध में साइट पर लाया था। इसके अलावा, एफआईआर और आरोप पत्र के बीच नुकसान की गणना में भारी अंतर के बारे में आरोप पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, जब केरल सरकार ने दो दशक पहले अपने राज्य में विशेष रूप से संस्कृत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया, तो माना कि लंबे समय तक कुछ भी नहीं हुआ और केवल वर्ष 1991 में, अपीलकर्ता को विश्वविद्यालय बनाने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दो साल के भीतर, मिशन पूरा हो गया और श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया और नवंबर 1993 में काम करना शुरू कर दिया और अगले महीने यानी दिसंबर 1993 में सरकार ने उन्हें विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने 1 जनवरी 1994 से प्रभावी पोस्ट का कार्यभार संभाला। वह इस पद पर 2-1/2 वर्ष की अवधि यानी 30.06.1996 तक बने रहे। इन सभी तथ्यात्मक विवरणों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि गुण-दोष के आधार पर भी उत्तरदाताओं के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं था। हाँलाकि ये सभी कानूनी और तथ्यात्मक विवरण ट्रायल कोर्ट के

साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए थे, लेकिन इन्हें सही ढंग से सराहा नहीं गया और दोनों अदालतों ने आरोपमुक्त करने की उनकी याचिका को खारिज करने में गलती की। अपीलकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति का मामला बनाया। [पैरा13] [1067-जी-एचः1068-ए-एच]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 792/ 2011।

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के 2010 के आपराधिक आर.पी.संख्या 1606 के फैसले और आदेश के अनुसार दिनांक 12.7.2010 से।

अपीलकर्ता की ओर से के.वी. विश्वनाथन, निखिल गोयल, मारसूक बफाकाई, राजेश बी, ए.वेन्यागम बालान।

प्रतिवादी की ओर से जयदीप गुप्ता, जी. प्रकाश, बीना प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया।

पी. सथासिवम, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2010 के आपराधिक आरपी संख्या 1606 में केरल के एर्नाकुलम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.07.2010 के फैसले और

आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सतर्कता पुलिस विभाग द्वारा जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, थ्रिशुर की अदालत में दायर आरोप पत्र में आपराधिक मामले से मुक्ति की मांग की गई थी।

3. संक्षिप्त तथ्य:

(ए) केरल सरकार वर्ष 1972 से ही राज्य में एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रयास कर रही थी। 15.07.1991 को, अपीलकर्ता को राज्य में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 16.01.1993 को, राज्य ने एक सरकारी आदेश जारी कर जिला कलेक्टर, एर्नाकुलम को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण करने का निर्देश दिया। एर्नाकुलम जिले के कलाडी (श्री शंकराचार्य का पवित्र जन्म स्थान) में अधिग्रहित की गई 42.5 एकड़ की पूरी भूमि, जिसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एर्नाकुलम के जिला कलेक्टर द्वारा विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया था, इसमें निचले और जल-जमाव वाले धान के खेत शामिल थे और कोई भी विकास कार्य मिट्टी से भरने के बाद ही शुरू किया जा सकेगा। भरने का काम शुरू करने से पहले, अपीलकर्ता, जो राज्य मुख्यालय में राज्य सरकार के मुख्य

सचिव के रूप में कार्य कर रहा था, ने राज्य लोक निर्माण विभाग (बाद में इसे पीडब्लयूडी के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के मुख्य अभियंता सहित क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से परामर्श किया था। जिन्हें वास्तव में साइट पर लाया गया था। अपीलकर्ता ने 42.5 एकड़ जलजमाव वाली भूमि को दूर से लाई गई मिट्टी से भर दिया। जलजमाव वाली प्रत्येक एक प्रतिशत भूमि को भरने के लिए 5,925/- रुपये की राशि खर्च की गई।

(बी) 01.01.1994 से 30.06.1996 तक, अपीलकर्ता को विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया था। 18.12.1996 को, सतर्कता पुलिस स्टेशन, एर्नाकुलम में अपीलकर्ता और चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 13 (2) के साथ पठित धारा 13 (1) (डी) के तहत अपराध संख्या 9/1996 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद इसे "पीसी" अधिनियम कहा गया) और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 463 (संक्षेप में "भा.द.सं.) में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उक्त विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित तरीके से किया गया और उन्होंने ठेकेदारों के साथ 59,51,543/- रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त किया। इससे विश्वविद्यालय को गलत नुकसान हुआ।

(सी) मई-जून,1997 के दौरान सतर्कता विभाग ने वर्ष 1993 और 1994 के दौरान कथित मिट्टी-भराव से संबंधित स्थल की जांच की। यह जांच तीन साल बाद और छह बार मानसून आने के बाद की गई। उस दौरान छह मानसून के दौरान हुई बारिश के प्रभाव से खेत पूरी तरह से जम गया था।

(डी) 30.06.2005 को, एफआईआर के बाद साढ़े आठ साल की देरी से व श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया। की धारा 50 (2) के तहत विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की पूर्व मंजूरी प्राप्त किए बिना जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, थ्रिशूर की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था। एफआईआर में विश्वविद्यालय को हुई आर्थिक क्षति 59,51,543/- रुपये दर्शायी गयी है, जबकि आरोप-पत्र में यह मूल रूप से अनुमानित राशि यानी, 2,68,358/- के 5% से भी कम हो गया है।

(इ) इस बीच, 03.04.2006 को राज्य सरकार के प्रधान सचिव ने निदेशक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को अपीलकर्ता के खिलाफ मामले वापस लेने का निर्देश दिया। इस संचार में, राज्य ने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता का आचरण अच्छे विश्वास में था और केवल उसके द्वारा की गई त्वरित कार्यवाही के

कारण, विश्वविद्यालय थोड़े समय के भीतर एक वास्तविकता बन गया था और अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 50 (3) के तहत सुरक्षा के लिए पात्र है।

(एफ) 19.12.2008 को, अपीलकर्ता ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 239 (संक्षेप में "संहिता) के तहत जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, थ्रिसुर की अदालत में 2008 के सीसी संख्या 31 में शिकायत संख्या 2933 के तहत खारिज के लिए एक आवेदन दायर किया।

आदेश दिनांक 29.08.2009 द्वारा, विशेष न्यायाधीश ने उपरोक्त आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 50 की सुरक्षा पाने का हकदार नहीं है क्योंकि कुलपति होने के नाते, अपीलकर्ता एक लोक सेवक था।

(जी) उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 1606/2010 प्रस्तुत की। दिनांक 12.07.2010 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। उक्त आदेश इस अपील में चुनौती के अधीन है।

4. सुना है अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के.वी. विश्वनाथन जी और उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता।

5. अपीलकर्ता पर एकमात्र आरोप यह था कि विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य करते समय उन्हें विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहीत भूमि में गलत इरादे से मिट्टी भरने और माप दर्ज न करके मिट्टी भरने का दोषी पाया गया था। रिकॉर्ड और इसके द्वारा खातों में हेराफेरी और जालसाजी, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन और भ्रष्ट या अवैध तरीकों से सरकार को धोखा दिया और कदाचार किया, तथा 2,63,358/- रुपये का अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त किया और पहला आरोपी होने के नाते उसने पीसी अधिनियम की धारा 13 (1) (डी) और 13 (2) और भा.द.सं. की धारा 409, 468, 477ए और 120बी के तहत दंडनीय अपराध किया है।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के.वी. विश्वानथन ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 50 (2) के मद्देनजर, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बहुमूल्य मंजूरी के बिना, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 50 (2) "सिंडिकेट की मंजूरी" निर्धारित करती है। उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अभियोजन, जो विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना शुरू किया गया है, को अपीलकर्ता के खिलाफ जारी रखने की अनुमति नहीं दी

जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि 2006 में भी केरल सरकार, सतर्कता (बी) विभाग तिरुवनंतपुरम ने सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद, मामलों में अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही यानी 2000 के सीसी नंबर 21 और 2000 के सीसी नंबर 49 जांच आयुक्त एवं विशेष न्यायाधीश, कोझिकोड की अदालत के समक्ष लंबित है और 2005 का सीसी नंबर 31 जांच आयुक्त एवं विशेष न्यायाधीश अदालत, थ्रिसुर के समक्ष संबंधित न्यायालायों की अनुमति से लंबित है। उन्होंने यह भी कहा कि गुण-दोष के आधार पर भी अपीलकर्ता ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता की मंजूरी प्राप्त की और निचली निविदा को स्वीकार कर लिया, जो लोक निर्माण विभाग के सक्षम अधिकारी यानी सहायक कार्यकारी अभियंता द्वारा निर्धारित राशि से कम थी, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसलिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री जयदीप गुप्ता ने प्रस्तुत किया कि उपलब्ध सामग्रियों के मद्देनजर, अपीलकर्ता ने आरोपमुक्त करने का कोई मामला नहीं बनाया है और उसे मुकदमे का सामना करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपीलकर्ता की याचिका पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी विचार किया और खारिज कर दिया, इसलिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और सभी प्रासंगिक सामग्रियों का अध्ययन किया है।

9. जहाँ तक पहले मुद्दे की बात है, अर्थात्, विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की मंजूरी के बिना अधिनियम की धारा 50 (2) के तहत अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, प्रासंगिक प्रावधानों को संदर्भित करना उपयोगी है जो पढ़े जाते हैंः-

"50. सद्भावना से किये गये कृत्यों का संरक्षण-

1. XXX

2. संडिकेट की पूर्व मंजूरी के बिना इस अधिनियम, या प्रतिमाओं या विनियमों के तहत किए गए या किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

3. XXX"

हेडनोट यह स्पष्ट करता है कि अच्छे विश्वास में किया गया कोई भी कार्य सुरक्षित है। अपीलकर्ता, विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते, अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अधिकारियों में से एक है। उस स्थिति में, यह विवाद में नहीं है कि धारा 50 (2) अपीलकर्ता पर लागू होती है और अधिनियम या कानून या अध्यादेश या विनियम के तहत किए गए किसी भी कार्य के संबंध में, सिंडिकेट की पूर्व मंजूरी के बिना

उसके खिलाफ कोई मुकदमा या अभियोजन या अन्य कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। चूंकि उप-धारा में करेंगे" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए सिंडीकेट की पिछली मंजूरी सिविल या आपराधिक मुकदमा शुरू करने से पहले एक पूर्व शर्त या आदेश है। इसे स्पष्ट करने के लिए, अधिनियम की धारा 50 (2) के अनुसार, सिंडीकेट की पूर्व मंजूरी के बिना अपीलकर्ता के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उनके खिलाफ आरोप उन कार्यों से संबंधित थे जो उन्होंने विश्वविद्यालय के एक अधिकारी, अर्थात् विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप् में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय किए थे। एफआईआर के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी आरोप या आरोप-पत्र में इसकी भनक तक नहीं थी कि अपीलकर्ता ने लेनदेन में कोई व्यक्तिगत लाभ कमाया था। आरोप सिर्फ इतना था कि मिट्टी भराई करने वाले ठेकेदार ने 2,68,358/- रुपये अधिक ले लिये थे। यह स्पष्ट नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए लगभग 8-1/2 साल तक इंतजार क्यों किया या ठेकेदार की मृत्यु तक इंतजार क्यों किया और जब तक सहायक कार्यकारी अभियंता, जिन्होंने काम के लिए कोटेशन तैयार किया और काम के प्रभारी को कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया ओर सेवानिवृत्ति पर सेवा से सेवानिवृत्त हो गए और अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले यूएई में काम करने के लिए देश छोड़ दिया।

10. उपरोक्त निष्कर्ष के अलावा, उप-धारा 2 में प्रयुक्त भाषा के आलोक में, जो विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की पिछली मंजूरी के अभाव में अनिवार्य है, अभियोजन शुरू या आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह अभियोजन एजेंसी का मामला नहीं है कि उन्होंने विश्वविद्यालय के सिंडिकेट से मंजूरी प्राप्त की, जो मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। उप-धारा में प्रयुक्त भाषा के आलोक में और विश्वविद्यालय के सिंडिकेट द्वारा पूर्व मंजूरी के अभाव में, हम मानते हैं कि अभियोजन को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, अन्यथा भी, एक कुलपति होने के नाते, उन्होंने शिकायत की शुरुआत से 8 साल की अवधि के बाद कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए लगन से काम किया।

11. दूसरे तर्क पर आते हैं, अर्थात् सरकार का रुख जो दिनांक 03.04.2006 की कार्यवाही में परिलक्षित होता है, यह केरल सरकार, सतर्कता (बी) विभाग के निर्णय को निकालने के लिए भी उपयोगी है जिसे सरकार के प्रमुख सचिव ने निदेशक सतर्कता और एंटी करप्शन ब्यूरो, तिरुवनंतपुरम को सूचित किया था जो इस प्रकार हैः-

"केरल सरकार

संख्या 9575/बी1/05/सतर्क सतर्कता (बी) विभाग

तिरुवनंतपुरम

दिनांक 03.04.2006

प्रेषक

सरकार के प्रमुख सचिव

प्रेषिति

निदेशक

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

तिरुवनंतपुरम

महोदय,

विषयः श्री आर रामचन्द्रन नायर, पूर्व कुलपति श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय-रजि. के खिलाफ लंबित मामलों को वापस लेना।

संदर्भः 1. समसंख्यक शासकीय पत्र दिनांक 07.10.2005।

2. आपका पत्र क्रमांक सी5/एसजेके/16465/2000 दिनांक 03.12.05 एवं 18.02.06।

मुझे उद्धत संदर्भो पर आपका ध्यान आकर्षित करने और आपको सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश कोझिकोड की अदालत के तीन मामलों (सी.सी संख्या 21/2000 और सीसी संख्या 49/2000) के संबंध में तथ्यों की एक जांच और जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश की अदालत के 2005 के सीसी नंबर 31 में पाया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा कदम उठाए गए थे। जल्द से

जल्द संभव तारीख दर्ज करें और यह इतनी तेजी से कार्यवाही के कारण हुआ कि जिस विश्वविद्यालय पर बहुत लंबे समय से विचार किया जा रहा था, वह 1994-1996 की इतनी छोटी अवधि के भीतर वास्तविकता बन गया। चूंकि पूर्व कुलपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उन पर लगाए गए कार्यों के निर्वहन में सद्भावना से काम किया था, वह श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 की धारा 50 (3) के संरक्षण के लिए पूरी तरह से पात्र हैं, जो इस प्रकार हैंः-

50(3) "विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या अन्य कर्मचारी किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्यवाही में ऐसे किसी भी कार्य के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा यदि कार्य अच्छे विश्वास में और कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान या इस अधिनियम के तहत लगाए गए कार्यों के निर्वहन के दौरान किया गया था।"

चूंकि पूर्व कुलपति द्वारा तीनों मामलों में की गई कार्यवाही "अच्छे विश्वास" में थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश कोझिकोड के सीसी 21/2000 और सीसी संख्या 49/2000 और जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश न्यायालय, थ्रिसुर के सीसी संख्या 31/2005 में अभियोजन वापस ले लिया जाएगा।

इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, कोझिकोड की अदालत के समक्ष लंबित सीसी 21/2000 और

सीसी संख्या 49/2000 और जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश थ्रिसुर के समक्ष सीसी संख्या 31/2005 के मामलों को संबंधित अदालतों की अनुमति से वापस लेने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

मामले में की गई कार्यवाही से शासन को तत्काल अवगत कराया जाए।

आपका विश्वासी

एसडी//-

के.ए.भगवती अम्मल

अपर सचिव

सरकार जरिए प्रमुख सचिव

12. उपरोक्त संचार को उच्चतम स्तर पर पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 3 मामलों, अर्थात् 2000 के सीसी नंबर 21 और 49 और 2005 के सीसी नंबर 31 में संपूर्ण तथ्यों की जांच करने पर, जो क्रमशः विशेष न्यायाधीश, कोझीकोड और थ्रिसुर के समक्ष लंबित है और अपीलकर्ता द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा ईमानदारी से और त्वरित कार्यवाही की गई और लगाए गए कार्य के निर्वहन में सद्भावनापूर्वक कार्य किया गया। अधिनियम के तहत सरकार ने निदेशक, सतर्कता, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित अदालतों में लंबित 3 मामलों को वापस लेने के लिए कार्यवाही

करने का अनुरोध किया। यह स्पष्ट नहीं है कि उच्चतम स्तर पर, अर्थात् सरकार के मुख्य सचिव के स्तर पर इस तरह के प्रावधान के बावजूद, अपीलकर्ता के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को वापस लेने की अनुमति मांगने वाली संबंधित अदालतों के समक्ष कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई थी। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के संदर्भ में यह न्यायालय वैध रूप से यह धारणा बना सकता है कि सरकार ने 2006 में भी अपीलकर्ता को बरी करने का एक सचेत निर्णय लिया था और अपीलकर्ता की सत्यनिष्ठा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है।

13. कानूनी मुद्दों के अलावा जो अपीलकर्ता के पक्ष में है,गुण-दोष के आधार पर भी, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जब अपीलकर्ता ने अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया, तो सरकार ने 42.5 एकड़ भूमि आवंटित की, जिसमें पानी भरा हुआ था और कोई भी विकास कार्य मिट्टी से भरने के बाद ही शुरू किया जा सकता था। अभिलेखों से यह भी उपलब्ध है कि अनुमान सहायक कार्यकारी अभियंता द्वारा तैयार किया गया था और जिसके आधार पर निविदाएं मांगी गई थीं और यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता ने सबसे कम निविदा स्वीकार की थी जो अभियंता द्वारा निर्धारित राशि से कम राशि की थी। यह भी देखा जा सकता है कि काम शुरू होने से पहले, अपीलकर्ता ने राज्य के उच्च अधिकारियों सहित क्षेत्र के कई विशेषज्ञों से परामर्श किया था और

वास्तव में उन्हें मिट्टी भरने के संबंध में साइट पर लाया था। इसके अलावा एफआईआर में, शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि अपीलकर्ता ने लगभग 59,51,543/- रुपये का आर्थिक लाभ प्राप्त किया था,जबकि अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में दायर किए गए आरोप पत्र में, यह मूल अनुमान के 5 प्रतिशत से भी कम हो गया है, लगभग 2,68,358/- रुपये, माना कि एफआईआर और आरोप पत्र के बीच नुकसान की गणना में भारी अंतर का आरोपपत्र में कोई जिक्र नहीं है। इसके अलावा, जब केरल सरकार ने दो दशक पहले अपने राज्य में विशेष रूप से संस्कृत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया, तो माना कि लंबे समय तक कुछ भी नहीं हुआ और केवल वर्ष 1991 में अपीलकर्ता को विश्वविद्यालय बनाने के लिए विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह बताया गया कि दो साल के भीतर मिशन पूरा हो गया और श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया और नवंबर 1993 में काम करना शुरू कर दिया और अगले महीने यानी दिसंबर 1993 में, सरकार ने उन्हें विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया और जनवरी 1,1994 से इस पद का प्रभार सौंपा। वह इस पद पर 2-1/2 वर्ष की अवधि यानी 30.06.1996 तक बने रहे। ये सभी तथ्यात्मक विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि गुण-दोष के आधार पर भी उत्तरदाताओं के लिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है। हालाँकि इन सभी कानूनी और तथ्यात्मक विवरणों को ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है,

लेकिन इन्हें सही ढंग से सराहा नहीं गया और दोनों अदालतों ने आरोपमुक्त करने के लिए दायर उनकी याचिका को खारिज करने में गलती की। प्रचुर सामग्री के साथ और ऊपर उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन को देखते हुए, हम अपीलकर्ता के दावे को स्वीकार करते हैं। इन सभी कारणों से, हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही से मुक्ति के लिए मामला बनाया है।

14. इन परिस्थितियों में, जांच आयुक्त और विशेष न्यायाधीश, थ्रिसुर द्वारा 2008 के सीएमपी संख्या 2933 और 2005 के सीसी संख्या 31 में दिनांक 29.08.2009 को पारित आदेश और 2010 के आपराधिक आर.पी. संख्या 1606 में उच्च न्यायालय के दिनांक 12.07.2010 के आदेश को खारिज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप् अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अपील की अनुमति है।

डी.जी

अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नम्रता पारीक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।